भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 986
सोमवार, 9 फरवरी, 2026 (20 माघ, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

क्षेत्रीय एवं छोटे विमानपत्तनों में सुरक्षा संबंधी जोखिम

986. श्री शुभाशीष खुंटियाः
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने भौगोलिक स्थिति, मौसम की परिस्थितियों अथवा अवसंरचना की कमी की दृष्टि से, विशेषकर पूर्वी और तटीय राज्यों में स्थित क्षेत्रीय और छोटे विमानपत्तनों में सुरक्षा जोखिमों का आकलन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो गैर-मेट्रो और क्षेत्रीय विमानपत्तनों पर सुरक्षा ऑडिट को सुदृढ़ करने, आपातकालीन तैयारी, पायलट प्रशिक्षण तथा प्रचालन सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों सहित इन जोखिमों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-4, श्रृंखला-ख, भाग-I और खंड-4, श्रृंखला-च, भाग-I में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के संतोषजनक अनुपालन के पश्चात हवाईअड्डा लाइसेंस जारी करता है। एयरोड्रोम प्रचालक एयरोड्रोम लाइसेंस की वैधता के दौरान हवाईअड्डों को उपयुक्त अवस्था में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं और इसे डीजीसीए द्वारा नियमित निगरानी निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, भूभाग जैसे प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न होने वाले किसी भी सुरक्षा जोखिम को डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) फ्रेमवर्क के अनुसार सुरक्षित विमान संचालन सुनिश्चित करने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन (एसआरए) प्रक्रियाओं के माध्यम से चिह्नित और उनका समाधान किया जाना चाहिए।

नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-4, श्रृंखला-ख, भाग-I, पैरा 9.1.14 दुर्गम क्षेत्र के जलीय और/या दलदली क्षेत्रों के समीप स्थित हवाईअड्डों के लिए आपात स्थिति में विशेषज्ञ बचाव सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य करता है।

इसके अलावा, डीजीसीए ने मार्ग और एयरोड्रोम क्षमता योग्यता से संबंधित प्रचालन परिपत्र ओसी 02/2012 और ओसी 01/2014 जारी किया है, जिसमें निष्पादन सीमित शर्तों के साथ हवाईअड्डों के लिए और हवाईअड्डों से परिचालन हेतु दिशानिर्देश निहित है। ये परिपत्र लागू प्रशिक्षण अपेक्षाओं, उड़ान चालक दल के लिए विशिष्ट सरोकारों, नीतिगत सिफारिशों और आवश्यक जोखिम मूल्यांकन और शमन उपायों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
